38/2023

14/7/24

पेश हुयी उभयपक्ष ...
पीठासीन अधिकारी अन्य काम में व्यस्त
अनुपस्थित है। हुक्मनामे सांबक आदेश
दिनांक 14/5/24 को पेश हो।

14/5/24

पत्रावली हाजिर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र के आधार पर यह कि वे अपने दावा वापस लेना चाहते हैं। वकील वादी द्वारा प्रा.पत्र में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में समझौता हो गया है। कोई विवाद नहीं रहा है अतः प्रकरण खारिज किया जावे। अतः प्रकरण खारिज किया जाता है। वादी वकील वादी द्वारा दाखिल किये गये नोट पेपर अंकित किये जाने के प्रकरण खारिज कर दिये जाने का आदेश पारित किया जाता है। अतः वकील वादी के प्रा.पत्र के आधार पर प्रकरण खारिज कर दिये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। पत्रावली निर्णय होकर दाखिल दफ्तर किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Not-proof

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2025.07.01 15:33:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर, जिला-भीलवाड़ा

Scanned with ACE Scanner